न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

राजस्व वाद पत्र संख्या : 88/2023

GCMS No. : 2023/256

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादी :–

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर।

1. गुदड़राम पुत्र सुखाराम जाति–बावरी
निवासी–निम्बोल, तहसील–जैतारण,
जिला–ब्यावर राज0।

राजस्व वाद पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू :– 13.06.2023

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण पैरोकार सरकार।
2. श्री सुगनचन्द्र सतनामी, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 30.01.2025

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि **खसरा नंबर 222 कुल रकबा 2.2824 हैक्टयर सरहद मौजा–निम्बोल तहसील–जैतारण** में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर ***वाणिज्यिक उपयोग (दुकानों का निर्माण)*** कर खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादी को हक नहीं है। प्रतिवादी ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी एक्ट की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी एक्ट की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं। दावा हाजा के लिए बिनाय मुखासमत **दिनांक 21.03.2023** को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का **निम्बोल** ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से **अकृषि (*दुकानों का निर्माण*)** का कार्य करने की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, 63 आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। है। प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जो सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी को जवाबदावा पेश करने के अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाबदावा पेश नहीं करने से जवाबदावा बन्द किया जाता हे। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई।

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खातेदार प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी **खसरा नंबर 222 कुल रकबा 2.2824 हैक्टयर** सरहद मौजा निम्बोल जिसकी किस्म बारानी दोयम है, अर्थात कृषि योग्य भूमि है का बिना विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए मौके पर दुकानों का निर्माण कर अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है। पटवारी, पटवार हल्का निम्बोल की मौका फर्द दिनाँक 21.03.2023 से इस तथ्य की भली–भाँति पुष्टि होती हैं। प्रतिवादी/खातेदार द्वारा बावजूद सम्मन/सूचना के न तो उक्त तथ्य का खण्डन किया है एवं न ही अपने पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए है। खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर दुकानों का निर्माण कर अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता हैं, तथा यह खातेदार के खातेदारी अधिकारों का विलोपित करते हुए बेदखल किए जानें का पर्याप्त आधार है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी तहसीलदार, जैतारण का वाद–पत्र भली–भाँति साबित होता है।

अतः वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवाय चक खाता सरकार दर्ज करना विधि सम्मत् रहेगा।

–: आदेश :–

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। **वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा– निम्बोल, पटवार हल्का–निम्बोल, तहसील– जैतारण, खसरा नम्बर 222, रकबा 2.2824 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम, में से 0.01619 हैक्टेयर भाग जो कि वाद–पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है,** से प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपार्ट में लाल स्याही से अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–ब्यावर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

–ः वादी ः–

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान
सरकार तहसील–जैतारण,
जिला–ब्यावर।

बनाम

–ः प्रतिवादी ः–

1. गुदड़राम पुत्र सुखाराम जाति–बावरी
निवासी–निम्बोल, तहसील–जैतारण,
जिला–ब्यावर राज0।

राजस्व वादपत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 ःरा0वा0 स0ः 88/2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री सुगनचन्द सतनामी **मिनजानिब मुद्धायलाह** पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। **वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा–निम्बोल, पटवार हल्का–निम्बोल, तहसील– जैतारण, खसरा नम्बर 222, रकबा 2.2824 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम, में से 0.01619 हैक्टेयर भाग जो कि वाद–पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है,** से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपार्ट में लाल स्याही से अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **30/01/2025** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

(रवि प्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

मुद्धई	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	Nil –	
महनताना वकील		
खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		
मिजानः–		

मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील		
खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		
मुत्फरिक		
मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।